

प्रेषक:-

एच.एस. मोहन्ता, (भा.व.से.)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं
नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन,
लिंग रोड नं. 3, ई-5, रविशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषय:- सीधी एवं सिंगरौली जिले में रीवा-सीधी-सिंगरौली नई बड़ी रेलवे लाईन के निर्माण हेतु सीधी वन मण्डल की 34.32 हेक्टेयर वनभूमि, राजस्व वनभूमि 0.162 हेक्टेयर (कुल 34.482 हेक्टेयर) एवं सिंगरौली वन मण्डल की 141.92 हेक्टेयर वनभूमि कुल 176.402 हेक्टेयर वनभूमि पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर, को उपयोग पर देने बाबत। (FP/MP/RAIL/33238/2018)

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक/6-MPR 016/2023-BHO/I/71165 दिनांक 03.05.2024

----0----

कृपया उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा आपने प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने के पूर्व 06 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई है। आपके द्वारा चाही गई जानकारी का विवरण निम्नानुसार है:-


क्र.	बिन्दु	प्रतिवेदन
1	Approx. 13.79 ha Revenue land / non-forest area which is included in the proposed construction, in 8 khasra(s) in the jurisdiction of Sidhi Forest Division and is recorded as Revenue Forest in the subject revenue records attract the provision of FCA, 1980. This Revenue forest area shall be included in the area proposed for diversion under the provision of FCA, 1980	प्रकरण में प्रभावित होने वाली गैर वनभूमि के खसराओं को सत्यापित करने हेतु कलेक्टर सीधी को लेख किया गया था। कलेक्टर सीधी द्वारा 04 खसराओं में राजस्व वनभूमि प्रभावित हो रही है। खसरा नं. 12 में 0.058 हे., खसरा नं. 13 में 0.048 हे., खसरा नं. 278 में 0.050 हे. एवं खसरा नं. 5 में 0.006 हे. कुल 0.162 हेक्टेयर भूमि प्रभावित हो रही है। 1- सीधी में पूर्व में प्रभावित वनभूमि 34.32 हेक्टेयर 2- राजस्व वनभूमि प्रभावित KML file के अनुसार रकबा 0.162 हेक्टेयर। इस प्रकार सीधी वन मण्डल में 34.482 हेक्टेयर वनक्षेत्र सीधी वन मण्डल का प्रभावित हो रहा है। सीधी वन मण्डल का प्रतिवेदन दिनांक 13.06.2024 संलग्न है।
2	Revised land schedule comprising of details of underground and surface area of forest and non-forest included in project shall be submitted/ uploaded. The entry of non-forest land involved in the proposal shall also be done in designated columns of online Part-I and II accordingly.	आवेदक संस्थान द्वारा schedule comprising details उपलब्ध कराया गया है, जो संलग्न है।

3	Since NPV is 50% for the underground area as per the prevailing guidelines, therefore the State Government shall provide the revised calculation of NPV for the area proposed for diversion under the provision of FCA, 1980	वन मण्डल अधिकारी सीधी एवं सिंगरौली द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर विवरण परिशिष्ट-1 में संलग्न है।
4	The DFOS shall provide a certificate to the effect that the KML of proposed diversion area is prepared and demarcation has been done on the basis of forest boundaries established in the prevailing working plan.	वन मण्डल अधिकारी सीधी एवं सिंगरौली द्वारा अपने प्रतिवेदन में लेख किया है कि व्यपवर्तित होने वाली वनभूमि की KML file वनसीमा एवं प्रचलित कार्य आयोजना के आधार पर है।
5	Areas in which past plantation activity is observed in the West Sarai Range, PF-674, such areas should be excluded from the area proposed for CA and revised KML shall be submitted/uploaded in online portal accordingly	भारत सरकार के निर्देशानुसार पीएफ-674 की संशोधित KML file पोर्टल में अपलोड कर दी गई है।
6	Rehabilitation plan to be submitted.	वन मण्डलाधिकारी सीधी द्वारा अवगत कराया है कि 1 व्यक्ति का विस्थापन किया जाना है, जिसका विस्थापन प्लान खण्ड स्तरीय समिति सिहावन/ बहरी द्वारा की जा रही है।

अतः प्रकरण में आपके द्वारा चाही गई जानकारी की पूर्ति हो गई है। कृपया प्रकरण में 176.402 हेक्टेयर की सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने का कष्ट करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।


भवदीय


(एच.एस. मोहन्ता)

भोपाल, दिनांक 10-7-24

पृ. क्रमांक / एफ-5 / 1230 / 2022 / 10-11 13617
प्रतिलिपि:-

1. मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय), रीवा वृत्त, रीवा, मध्यप्रदेश।
 2. वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, सीधी एवं सिंगरौली, मध्यप्रदेश।
 3. उप मुख्य अभियंता (निर्माण), पश्चिम मध्य रेल्वे, जबलपुर, मध्यप्रदेश।
- की ओर सूचनार्थ प्रेषित।


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

सीधी वन मण्डल

स. क्र.	विवरण	परिक्षेत्र	रकबा (हे.)	इको क्लास	घनत्व	एन.पी.व्ही. की दर	एन.पी.व्ही. की राशि
1	Over ground (NPV)	बहरी	30.042	III	0.8	1357110	40770299
2	Under ground (NPV 50%)	बहरी	4.44	III	0.8	1357110	3012784
योग			34.482	-	-	-	43783083

सिंगरौली वन मण्डल

स. क्र.	विवरण	परिक्षेत्र	रकबा (हे.)	इको क्लास	घनत्व	एन.पी.व्ही. की दर	एन.पी.व्ही. की राशि
1	Over ground (NPV)	बरगवां	44.67	III	0.3	1228590	54881115
2	Under ground (NPV 50%)	बरगवां	18.00	III	0.3	1228590	11057310
3	Over ground (NPV)	कर्थुआ	20.17	III	0.3	1228590	24780660
4	Under ground (NPV 50%)	कर्थुआ	10.65	III	0.3	1228590	6542242
5	Over ground (NPV)	जियावन	37.63	III	0.3	1228590	46231842
6	Under ground (NPV 50%)	जियावन	10.80	III	0.3	1228590	6634386
योग			141.192	-	-	-	150127555



अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबन्ध)
मध्य प्रदेश, भोपाल

कार्यालय वनमण्डल अधिकारी वनमण्डल सीधी, जिला-सीधी (म0प्र0)

कोतवाली रोड़ सीधी E-mail-dfot.sdh@mp.gov.in

क्रमांक/मा0चि0/4330
प्रति,

सीधी, दिनांक 11/06/2024

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल

विषय:- सीधी एवं सिंगरौली जिले में रीवा-सीधी-सिंगरौली नई बड़ी रेलवे लाईन के निर्माण हेतु सीधी वन मण्डल की 34.32 हेक्टेयर वन भूमि एवं सिंगरौली वन मण्डल की 141.192 हेक्टेयर वन भूमि कुल 176.24 हेक्टेयर वन भूमि पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर को उपयोग पर देने बावत्। (FP/MP/RAIL/33238/2018)

संदर्भ:-
1. आपका पत्र क्रमांक/एफ-5/1230/2023/10-11/2417 भोपाल दिनांक 03.05.2024
2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल का पत्र क्रमांक/6-MPR 016/2023-BHO/I/71165 दिनांक 03.05.2024
3. उप मुख्य अभियंता (निर्माण) सीधी के पत्र क्रमांक 100 दिनांक 07.06.2024

—000—

विषयान्तर्गत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भोपाल के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी करने के पूर्व 01 से 06 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई है, जो यूजर एजेन्सी रेलवे विभाग द्वारा उपरोक्त संदर्भ क्रमांक 03 से बिन्दुवार प्रेषित जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	बिन्दु	प्रस्तुत जानकारी																								
1.	Approx 1379 ha Revenue land non-forest area which included in the proposed constriction in 8 khasra(s) in the jurisdiction of Sidhi Forest Division and is recorded as Revenue Forest in the subject revenue records attract the provision of FCA, 1980. This Revenue forest area shall be included in the area proposed for diversion under the provision of FCA, 1980	गैर वन भूमि में खसरा को सत्यापित करने हेतु कलेक्टर सीधी कोपत्र लिखा गया था, कलेक्टर सीधी के रिपोर्ट अनुसार (रिपोर्ट संलग्न) 4 खसरा नं. 12, 13, 278 एवं 5 के अन्तर्गत क्रमशः 0.061 हे., 0.214 हे., 0.050 हे. एवं 1.594 हे. कुल 1.919 हे. राजस्व वन भूमि से सीधी-सिंगरौली रेल लाइन के अन्तर्गत क्रमशः 0.058 हे., 0.048 हे., 0.050 हे. एवं 0.006 हे. कुल 0.162 हे. भूमि प्रस्तावित हो रही है। जो कि KML File में दर्शाई गई है। अतः पुनरीक्षित नियमानुसार स्वीकृत देने की कार्यवाही करने का अनुरोध है। 1. पूर्व से प्रेषित प्रस्ताव में वनभूमि = 34.32 हे. 2. KML File के अनुसार राजस्व वन भूमि = 0.162 हे. योग = 34.482 हे.																								
2.	Revised land schedule comprising of details of under-ground and surface area of forest and non forest Included in project shall be submitted/uploaded. The entry of non forest land involved in the proposal shall also be done in designated columns of online Part-I and II accordingly.	जानकारी प्रपत्र में संलग्न है।																								
3.	Since NPV is 50% for the underground area as per the prevailing guidelines, therefore the State Government shall provide the revised calculation of NPV for the area proposed for diversion under the provision of FCA, 1980	रेलवे में प्रभावित वन भूमि हेतु सी.ए. एवं एन.पी.व्ही. की गणना निम्नानुसार है - <table border="1"> <thead> <tr> <th>विवरण</th> <th>रकबा</th> <th>इको क्लास श्रेणी</th> <th>घनत्व</th> <th>एन.पी. व्ही. की दर प्रति है.</th> <th>एन.पी.व्ही. की राशि</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NPV (above ground)</td> <td>30.042</td> <td>III</td> <td>0.8</td> <td>1357110</td> <td>40770299</td> </tr> <tr> <td>NPV (below ground) (50% NPV)</td> <td>4.44</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3012784</td> </tr> <tr> <td>योग -</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>43783083</td> </tr> </tbody> </table> <p>टीप- 1. एन.पी.व्ही. राशि की गणना भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र दिनांक 06.01.2022 से निर्धारित दर के आधार पर (Very Dense Forest 0.8 हेतु निर्धारित दर 1357110 प्रति हेक्टे. के प्रावधान अनुसार किया गया है)</p>	विवरण	रकबा	इको क्लास श्रेणी	घनत्व	एन.पी. व्ही. की दर प्रति है.	एन.पी.व्ही. की राशि	NPV (above ground)	30.042	III	0.8	1357110	40770299	NPV (below ground) (50% NPV)	4.44				3012784	योग -					43783083
विवरण	रकबा	इको क्लास श्रेणी	घनत्व	एन.पी. व्ही. की दर प्रति है.	एन.पी.व्ही. की राशि																					
NPV (above ground)	30.042	III	0.8	1357110	40770299																					
NPV (below ground) (50% NPV)	4.44				3012784																					
योग -					43783083																					

4.	The DFOs shall provide a certificate to the effect that the KML of proposed diversion area is prepared and demarcation has been done on the basis of forest boundaries established in the prevailing working plan.	Yes
5.	Areas in which past plantation activity is observed in the West Sarai Range. PF-674 such areas should be excluded from the area proposed for CA and revised KML shall be submitted uploaded in online portal accordingly.	कार्यवाही वन विभाग सिंगरौली वनमण्डल से की जायेगी।
6.	Rehabilitation plan to be submitted.	सीधी वनमण्डल के अन्तर्गत 1 व्यक्ति का विस्थापन प्लान किया जाना है, खण्ड स्तरीय समिति सिहावल/बहरी द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

H
वनमण्डल अधिकारी
सीधी (मोप्रो)

क्रमांक / माओचि / 4331

सीधी, दिनांक / 13 / 06 / 2024

प्रतिलिपि:-1. वन संरक्षक रीवा वृत्त रीवा की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।

2. उप मुख्य अभियंता (निर्माण) सीधी की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।

H
वनमण्डल अधिकारी
सीधी (मोप्रो)

राजेश कुमार खरे
 उप मुख्य अभियंता (नि)
 मो 9752415228 .
 ईमेल :-dycec.sidhi@gmail.com



कार्यालय
 उप मुख्य अभियंता (नि)
 सीधी

पत्र क्र. : उप/मुख्य/अभियंता/नि/सीधी/सीधी-वन /100

दिनांक : 07.06.2024

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी
 वन मण्डल सीधी एवं सिंगरौली

विषय - सीधी एवं सिंगरौली जिले में रीवा-सीधी-सिंगरौली नई बड़ी रेलवे लाइन के निर्माण हेतु 176.24 हे 34.32) हे .
 सीधी एवं 141.92 हे .सिंगरौली वनमण्डल (आरक्षित एवं संरक्षित वनभूमि उप मुख्य अभियंता)निर्माण ,(पश्चिम मध्य
 रेलवे जबलपुर को उपयोग पर देने बाबत ।

संदर्भ - भारत सरकार पर्यावरण ,वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भोपाल का पत्र क्र-6 .एमपीआर -2023/016
 बीएचओ/ 71165/दिनांक 03.05.2024 -

विन्दु	चाही गई जानकारी	अनुपालन
1	Approx. 13.79 ha Revenue land/non-forest area which is included in the proposed construction, in 8 khasra(s) in the jurisdiction of Sidhi Forest Division and is recorded as Revenue Forest in the subject revenue records attract the provision of FCA, 1980. This Revenue forest area shall be included in the area proposed for diversion under the provision of FCA,1980	गैर वन भूमि में खसरो को सत्यापित करने हेतु कलेक्टर सीधी को पत्र लिखा गया था, कलेक्टर सीधी के रिपोर्ट अनुसार (रिपोर्ट संलग्न) 4 खसरो खसरा न. 12, 13, 278 एवं 5 के अंतर्गत क्रमशः 0.061 हे., 0.214 हे., 0.050 हे. एवं 1.594 हे. (कुल 1.919 हे.) राजस्व वन भूमि में सीधी-सिंगरौली रेल लाइन के अंतर्गत क्रमशः 0.058 हे., 0.048 हे., 0.050 हे. एवं 0.006 हे. (कुल 0.162 हे.) भूमि प्रस्तावित हो रही है । जो कि KML फाइल में दर्शाई गई है । अतः पुनरीक्षित नियमानुसार स्वीकृत देने की कार्यवाही करने का अनुरोध है । 1-पूर्व से प्रेषित प्रस्ताव में वनभूमि = 34.32 हे. 2-KML के अनुसार राजस्व वनभूमि = 0.162 हे. योग = 34.482 हे.
2	Revised land schedule comprising of details of under-ground and surface area of forest and non-forest included in project shall be submitted/uploaded. The entry of non-forest land involved in the proposal shall also be done in designated columns of online Part-I and II accordingly.	जानकारी प्रपत्र में संलग्न है ।
3	Since NPV is 50% for the underground area as per the prevailing guidelines, therefore the State Government shall provide the revised calculation of NPV for the area proposed for diversion under the provision of FCA, 1980	कार्यवाही वन विभाग द्वारा की जाएगी ।



वन मण्डल अधिकारी
 वन मण्डल सीधी
 1116

4	The DFOs shall provide a certificate to the effect that the KML of proposed diversion area is prepared and demarcation has been done on the basis of forest boundaries established in the prevailing working plan.	कार्यवाही वन विभाग द्वारा की जाएगी।
5	Areas in which past plantation activity is observed in the West Sarai Range, PF-674 such areas should be excluded from the area proposed for CA and revised KML Shall be submitted/uploaded in online portal accordingly.	कार्यवाही वन विभाग द्वारा की जा रही है।
6	Rehabilitation plan to be submitted.	रीथी वन मण्डल के अंतर्गत 1 व्यक्ति का विस्थापन प्लान किया जाना है खंड स्तरीय समिति मिट्टाचल/बदरी द्वारा कार्यवाही की जा रही है।


जानकारी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्न - प्रपत्र 1


 उप मुख्य अभियंता (नि)
 सीधी

प्रतिलिपि -

1. उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक भू प्रबंध भोपाल को सादर सूचनार्थ।
3. मुख्य वन संरक्षक/क्षेत्रीय/रीवा (वृत्त रीवा) मध्यप्रदेश सादर सूचनार्थ।
4. मुख्य अभियंता/नि-1/जबलपुर को सादर सूचनार्थ।


 उप मुख्य अभियंता (नि)
 सीधी

i. Land schedule showing length, width and area wise details of all components in surface area and in underground area

SIDHI-SINGRAVULI FOREST TUNNEL DETAILS

Sr. No.	Tunnel/Cut & Cover/ Cutting	Chainage		Compartment No.	Length (m) L	Area (Ha)		Trees for Felling	Remarks
		Starting (m)	Ending (m)			Overground component	Underground component		
Tunnel-1	Portal-1	111274	111435	P-946	161	2.44	-	2303	
	Tunnel	111435	112030		595	-	1.19		
Tunnel-2	Portal-2	112030	112200	P-932	170	2.1	-	8499	
	Tunnel	112200	116480		795	12.44	-		
Tunnel-3	Cut & Cover-1	115685	117405	P-942	507	5.40	-	1161	
	Cut & Cover-2	116898	122800		295	4.83	3.25		
Tunnel-4	Portal-1	122505	122800	P-942	200	-	-	1161	
	Tunnel	122800	123000		290	2.67	0.058		
Revenue Forest	Portal-2	123000	123280	P-942	280	0.048	-	1161	
	Tunnel	123280	123500		220	0.006	-		
SIDHI					TOTAL	30.042	4.44	11963	
Tunnel-5	Portal-1	124505	124570	PF-847 ✓	65	1.1	-	231	
	Tunnel	124570	124800		230	3.76	-		
Tunnel-6	Portal-2	124800	124895	PF-848 ✓	95	1.45	-	36	
	Portal-1	125785	125820		35	0.31	5.51		
Tunnel-7	Tunnel	125820	126230	PF-845 ✓	410	0.85	-	1926	
	Portal-2	126230	126290		60	8.92	-		
Tunnel-10	Cut & Cover-3	126910	127475	RF-773 ✓	565	1.75	-	7523	
	Portal-1	130695	130780		85	2.45	4.12		
Tunnel-11	Tunnel	130780	130960	PF-774, RF-773 & PF-776 ✓	110	6.54	-	15962	
	Portal-2	130960	131070		580	7.45	-		
Tunnel-14	Portal-1	131470	132050	PF-768, RF-781 & 202 ✓	1430	10.80	-	416	
	Tunnel	132050	133480		1050	0.00	24.9		
Tunnel-16	Portal-2	151850	153210	PF-201 ✓	1360	10.60	-	2652	
	Portal-1	154710	155315		605	9.17	-		
Tunnel-17	Tunnel	156615	157180	PF-200, RF-197 ✓	565	13.64	-	3199	
	Portal-2	157180	157680		500	8.17	-		
Tunnel-17	Portal-1	157680	157855	PF-200, RF-197 ✓	175	63.08	-	27945	
	Portal-2	158380	160350		990	141.92	-		
Tunnel-17	Tunnel	159370	160350	PF-200, RF-197 ✓	980	78.84	-	15962	
	Portal-2	160350	160750		400	67.52	-		
SINGRAVULI					TOTAL	108.882	67.52	15962	
(SIDHI + SINGRAVULI) Area (Ha.)					108.882	176.402	67.52	27945	
(SIDHI + SINGRAVULI) Total Area (Ha.)					108.882	176.402	67.52	27945	

1.-Total no of tunnel -18
Tunnel no - 8, 9, 12, 13, 15 & 18 exists in non forest area. 2.- Forest area is irregular hence width is not mentioned

PW



कार्यालय वन मण्डल अधिकारी वन मण्डल सिंगरौली(म0प्र0) सूचना का

भाजन मोड़ जिला पंचायत के बगल में
ईमेल-dfot.sgl@mp.gov.in, फोन-07805-233336 फैक्स-233335

अधिकार

क्र0/तक्र0/ 4/ 400
प्रति,

सिंगरौली, दिनांक. 10-07-2024

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू-प्रश्न) मध्यप्रदेश भोपाल

- विषय:-** सीधी एवं सिंगरौली जिले में रीवा-सीधी-सिंगरौली नई बड़ी रेलवे लाईन के निर्माण हेतु सीधी वन मण्डल की 34.32 हे0 वनभूमि एवं सिंगरौली वन मण्डल की 141.92 हे0 वनभूमि कुल 176.24 हे0 वनभूमि पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर को उपयोग पर देने बाबत। (FP/MP/RAIL/33238/2018)
- संदर्भ:-**
- आपका पत्र क्रमांक/एफ-5/1230/2023/10-11/2417 दिनांक 03.05.2024 एवं दूरभाष दिनांक 09.07.2024
 - भारत सरकार, भोपाल का पत्र क्रमांक/6-एमपीआर 016/2023-बीएचओ/1/71165 दिनांक 03.05.2024
 - उप मुख्य अभियंता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर, म0प्र0 का प्राप्त पत्र दिनांक 02.07.2024

-000-

विषयवर्तगत के संघ में लेख है कि वन मण्डल सिंगरौली के अन्तर्गत 141.92 हे0 वन भूमि वन संरक्षण अधिनियम 1980(2) के तहत उप मुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे रीवा द्वारा रीवा-सीधी-सिंगरौली नई बड़ी रेल लाईन परियोजना के निर्माण कार्य हेतु प्रस्तावित है।

सन्दर्भित पत्र (1) से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भोपाल द्वारा प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने के पूर्व 06 दिन्दुओं की जानकारी चाही गयी है, जो निम्नानुसार है:-


क्र0	भारत सरकार द्वारा चाही गयी जानकारी	बिन्दुवार जानकारी																																																
1.	Approx. 13.79 ha Revenue land/non-forest area which is included in the proposed construction, in 8 khasra(s) in the jurisdiction of Sidhi Forest Division and is recorded as Revenue Forest in the subject revenue records attract the provision of FCA, 1980. This Revenue forest area shall be included in the area proposed for diversion under the provision of FCA, 1980	<p>गैर वनभूमि में खसरों को सत्यापित करने हेतु कलेक्टर सीधी को पत्र लिखा गया था, कलेक्टर सीधी के रिपोर्ट अनुसार (रिपोर्ट संलग्न) 4 खसरों खसरा नं. 12, 13, 278 एवं 5 के अंतर्गत क्रमशः 0.061 हे., 0.214 हे., 0.050 हे एवं 1.594 हे0 (कुल 1.919 हे0) राजस्व वन भूमि से सीधी सिंगरौली रेल लाईन के अन्तर्गत क्रमशः 0.058 हे., 0.048 हे., 0.050 हे, एवं 0.006 हे0 (कुल 0.162 हे0) भूमि प्रस्तावित हो रही है। जो कि के0एम0एल0 फाईल में दर्शाई गई है।</p> <p>अतः पुनरीक्षित नियमानुसार स्वीकृति देने की कार्यवाही करने का अनुरोध है।</p> <ol style="list-style-type: none"> पूर्व से प्रेषित प्रस्ताव में वनभूमि - 34.32 हे0 के0एम0एल0 के अनुसार राजस्व वनभूमि - 0.162 हे0 <p>योग - 34.482 हे0</p> <p>(आवेदक संस्थान से प्राप्त)</p>																																																
2	Revised land schedule comprising of details of under-ground and surface area of forest and non-forest included in project shall be submitted/uploaded. The entry of non-forest land involved in the proposal shall also be done in designated columns of online Part-I and II accordingly.	<p>जानकारी प्रपत्र में संलग्न है।</p> <p>(आवेदक संस्थान से प्राप्त)</p>																																																
3	Since NPV is 50% for the underground area as per the prevailing guidelines, therefore the State Government shall provide the revised calculation of NPV for the area proposed for diversion under the provision of FCA, 1980	<table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र</th> <th>विवरण</th> <th>परिक्षेत्र</th> <th>रकबा (हे0 मे)</th> <th>इको क्लास</th> <th>घनत्व</th> <th>एन.पी.वी. की दर प्रति हे0</th> <th>एन.पी.वी. की राशि</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>NPV (Above Ground)</td> <td>बरगवां</td> <td>44.67</td> <td>III</td> <td>0.3</td> <td>1228590</td> <td>54931115</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>NPV (Below Ground) (50% of NPV)</td> <td></td> <td>18.00</td> <td>III</td> <td>0.3</td> <td>614295</td> <td>11057310</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>NPV (Above Ground)</td> <td>कड़ुआ</td> <td>20.17</td> <td>III</td> <td>0.3</td> <td>1228500</td> <td>24780660</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>NPV (Below Ground) (50% of NPV)</td> <td></td> <td>10.65</td> <td>III</td> <td>0.3</td> <td>614295</td> <td>6542242</td> </tr> </tbody> </table>	क्र	विवरण	परिक्षेत्र	रकबा (हे0 मे)	इको क्लास	घनत्व	एन.पी.वी. की दर प्रति हे0	एन.पी.वी. की राशि	1	2	3	4	5	6	7	8	1	NPV (Above Ground)	बरगवां	44.67	III	0.3	1228590	54931115	2	NPV (Below Ground) (50% of NPV)		18.00	III	0.3	614295	11057310	3	NPV (Above Ground)	कड़ुआ	20.17	III	0.3	1228500	24780660	4	NPV (Below Ground) (50% of NPV)		10.65	III	0.3	614295	6542242
क्र	विवरण	परिक्षेत्र	रकबा (हे0 मे)	इको क्लास	घनत्व	एन.पी.वी. की दर प्रति हे0	एन.पी.वी. की राशि																																											
1	2	3	4	5	6	7	8																																											
1	NPV (Above Ground)	बरगवां	44.67	III	0.3	1228590	54931115																																											
2	NPV (Below Ground) (50% of NPV)		18.00	III	0.3	614295	11057310																																											
3	NPV (Above Ground)	कड़ुआ	20.17	III	0.3	1228500	24780660																																											
4	NPV (Below Ground) (50% of NPV)		10.65	III	0.3	614295	6542242																																											

		5	NPV (Above Ground)		37.63	III	0.3	1220590	46231042
		6	NPV (Below Ground) (50% of NPV)	सिमावन	10.80	III	0.3	614295	6634336
		योग-			141.02				150127555
4	The DFOs shall provide a certificate to the effect that the KML of proposed diversion area is prepared and demarcation has been done on the basis of forest boundaries established in the prevailing working plan.	प्रस्तावित व्यपवर्तित रकमों की कोएमओएलओ फाईल वन सीमा एवं प्रचलित कार्य आयोजना के आधार पर तैयार की गयी है।							
5	Areas in which past plantation activity is observed in the West Sarai Range, PF-674 such areas should be excluded from the area proposed for CA and revised KML shall be submitted/uploaded in online portal accordingly.	संशोधित कोएमओएलओ फाईल संलग्न है।							
6	Rehabilitation plan to be submitted.	वन मण्डल सीधी से संबंधित है।							

पृ०क्र०/तक०/ ५५०१
प्रतिलिपि:-

1. वन संरक्षक सीवा वृत्त सीवा की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. उप मुख्य अभियंता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर, म०प्र० की ओर सूचनार्थ।


वन मण्डल अधिकारी
वन मण्डल सिंगरौली
सिंगरौली दिनांक 10/07/2024


वन मण्डल अधिकारी
वन मण्डल सिंगरौली

राजेश कुमार खरे
उप मुख्य अभियंता (नि)
मो. 9752415228
ईमेल :- dycec.sldhi@gmail.com



कार्यालय
उप मुख्य अभियंता (नि)
सीधी

पत्र क्र.: उप/मुख्य/अभियंता/नि/सीधी/सीधी-वन/११

दिनांक: 07.06.2024

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी
वन मण्डल सीधी एवं सिंगरौली

विषय - सीधी एवं सिंगरौली जिले में रीवा-सीधी-सिंगरौली नई बड़ी रेलवे लाइन के निर्माण हेतु 176.24 हे 34.32) हे. सीधी एवं 141.92 हे. सिंगरौली वनमण्डल (आरक्षित एवं संरक्षित वनभूमि उप मुख्य अभियंता) निर्माण, (पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर को उपयोग पर देने बावत।

संदर्भ - भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भोपाल का पत्र क्र-6.एमपीआर-2023/016 बीएचओ/ 71165/दिनांक 03.05.2024 -

वन मण्डल सीधी
वन मण्डल सिंगरौली (आ०)
8/7/24


क्र.सं.	चाही गई जानकारी	अनुपालन
1	Approx. 13.79 ha Revenue land/non-forest area which is included in the proposed construction, in 8 khasra(s) in the jurisdiction of Sidhi Forest Division and is recorded as Revenue Forest in the subject revenue records attract the provision of FCA, 1980. This Revenue forest area shall be included in the area proposed for diversion under the provision of FCA, 1980	शैर वन भूमि में खसरों को सत्यापित करने हेतु कलेक्टर सीधी को पत्र लिखा गया था, कलेक्टर सीधी के रिपोर्ट अनुसार (रिपोर्ट संलग्न) 4 खसरों खसरा न. 12, 13, 278 एवं 5 के अंतर्गत क्रमशः 0.061 हे., 0.214 हे., 0.050 हे. एवं 1.594 हे. (कुल 1.919 हे.) राजस्व वन भूमि से सीधी-सिंगरौली रेल लाइन के अंतर्गत क्रमशः 0.058 हे., 0.048 हे., 0.050 हे. एवं 0.006 हे. (कुल 0.162 हे.) भूमि प्रस्तावित हो रही है। जो कि KML फाइल में दर्शाई गई है। अतः पुनरीक्षित नियमानुसार स्वीकृत देने की कार्यवाही करने का अनुरोध है। 1-पूर्व से प्रेषित प्रस्ताव में वनभूमि = 34.32 हे. 2-KML के अनुसार राजस्व वनभूमि = 0.162 हे. योग = 34.482 हे.
2	Revised land schedule comprising of details of under-ground and surface area of forest and non-forest included in project shall be submitted/uploaded. The entry of non-forest land involved in the proposal shall also be done in designated columns of online Part-I and II accordingly.	जानकारी प्रपत्र में संलग्न है।
3	Since NPV is 50% for the underground area as per the prevailing guidelines, therefore the State Government shall provide the revised calculation of NPV for the area proposed for diversion under the provision of FCA, 1980	कार्यवाही वन विभाग द्वारा की जाएगी।



4	The DFOs shall provide a certificate to the effect that the KML of proposed diversion area is prepared and demarcation has been done on the basis of forest boundaries established in the prevailing working plan.	कार्यवाही वन विभाग द्वारा की जाएगी।
5	Areas in which past plantation activity is observed in the West Saral Range, PF-674 such areas should be excluded from the area proposed for CA and revised KML Shall be submitted/uploaded in online portal accordingly.	कार्यवाही वन विभाग द्वारा की जा रही है।
6	Rehabilitation plan to be submitted.	सीधी वन मण्डल के अंतर्गत 1 व्यक्ति का विस्थापन प्लान किया जाना है एवं स्तरीय समिति सिहावल/बहरी द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

जानकारी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्न - प्रपत्र 1


उप मुख्य अभियंता (नि)
सीधी

प्रतिलिपि -

1. उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक भू प्रबंध भोपाल को सादर सूचनार्थ।
3. मुख्य वन संरक्षक/क्षेत्रीय/रीवा (वृत्त रीवा) मध्यप्रदेश सादर सूचनार्थ।
4. मुख्य अभियंता/नि-1/जबलपुर को सादर सूचनार्थ।


उप मुख्य अभियंता (नि)
सीधी

1. Land schedule showing length, width and area wise details of all components in surface area and in underground area

SIDHI-SINGRAULI FOREST TUNNEL DETAILS

Sr. No.	Tunnel/Cut & Cover/ Cutting	Chainage		Compartment No.	Length (m)	Area (Ha.)		Trees for Felling	Remarks
		Starting (m)	Ending (m)			Overground component	Underground component		
Tunnel-1	Portal-1	Tunnel	111274	111435	161	2.44	1.18	2303	
		Portal-2	111435	112030	595	-	-		
		Cut & Cover-1	112030	112200	170	2.1	-		
Tunnel-2	Cut & Cover-2	Portal-1	115685	116480	795	12.44	-	8499	
		Portal-2	116898	117405	507	5.40	-		
		Tunnel	122505	122800	295	4.83	3.23	1181	
Revenue Forest	Portal-2	Tunnel	122800	123000	200	-	-		
		Portal-1	123000	123280	280	2.67	0.038		
		Tunnel				0.048			
SIDHI									
					TOTAL	30.042	4.44	11953	
Tunnel-5	Portal-1	Tunnel	124505	124570	65	1.1	3.76	231	
		Portal-2	124570	124800	230	1.46	-		
		Portal-1	124800	124895	95	0.31	5.51	36	
Tunnel-6	Portal-2	Tunnel	125785	125820	35	0.85	-		
		Portal-1	125820	126230	410	8.92	4.12	1926	
		Cut & Cover-3	126230	126290	60	1.75	-		
Tunnel-10	Portal-1	Tunnel	126910	127475	565	2.45	7.45	7523	
		Portal-2	130695	130780	85	6.54	-		
		Portal-1	130780	130960	180	10.80	0.00	416	
Tunnel-11	Portal-1	Tunnel	130960	131070	110	10.60	24.9		
		Portal-2	131470	132050	580	10.30	9.17	2632	
		Portal-1	132050	133480	1430	3.13	8.17	3198	
Tunnel-14	Portal-1	Tunnel	133480	134530	1050	7	63.08		
		Portal-2	151850	153210	0	141.92	15982		
		Portal-1	154710	155315	1360	108.882	67.52	27945	
Tunnel-16	Portal-1	Tunnel	156615	157180	605	78.84	63.08		
		Portal-2	157180	157680	500	10.60	24.9		
		Portal-1	157680	157855	175	10.30	9.17	2632	
Tunnel-17	Portal-2	Tunnel	157855	157955	100	3.13	8.17	3198	
		Portal-1	158380	159370	990	13.64	8.17		
		Portal-2	159370	160350	980	7	63.08		
SINGRAULI					TOTAL	78.84	63.08	15982	
(SIDHI + SINGRAULI) Area (Ha.)						141.92	63.08	15982	
(SIDHI + SINGRAULI) Total Area (Ha.)						108.882	67.52	27945	

1.-Total no of tunnel-18
Tunnel no- 8, 9, 12, 13, 15 & 18 cuts in non forest area.
2.-Forest area is irregular hence width is not mentioned

PKM